न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः— 21/12/2021

अपील संख्याः 73/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00113)

1. गोपीराम पुत्र खींवसीराम जाति जाट निवासी ग्राम रिडी तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूँगरगढ़।
2. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रिड़ी तहसील श्रीडूँगरगढ़।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29—01—2020
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः—

1. श्री ओम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 29—01—2020 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही रिड़ी के खेत खसरा नम्बर 839 नया 713 पुराना तादादी 5.3100 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर नया 37 पुराना 32 तादादी 2.7800 हेक्टर वाके रोही बाडेला तहसील श्रीडूँगरगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में अपीलांट् के पिता खींवसी पुत्र रतना कौम जाट साकिन रिड़ी के नाम से चली आ रही थी। अपीलांट् के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त भूमि खींवसी के सभी जायज वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड की गई। तत्सयम अपीलांट् के बड़े भाई द्वारा अपीलांट् का नाम सहवन से गोपीराम के स्थान पर गणपतराम दर्ज करवा दिया गया। तभी से तमाम राजस्व रिकार्ड में अपीलांट् को नाम गोपीराम के स्थान पर गणपतराम दर्ज चला आ रहा है। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष इस संबंध में अर्थात नाम दुरूस्ती के बाबत् वादपत्र अर्न्तगत धारा 88 आरटीए व 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा वाद प्रकिया को अपनाये बिना, रिकार्ड का अवलोकन किये बिना मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट्/वादी का वादपत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट् के वास्तविक नाम अर्थात गोपीराम के बाबत् समस्त दस्तावेज यथा वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड आदि प्रस्तुत करते हुए अपने उक्त कथन को कि अपीलांट का वास्तविक नाम गणपतराम नहीं होकर गोपीराम है, साबित करने का प्रयास किया गया था, परन्तु अदालत मातहत द्वारा इन तमाम दस्तावेजी साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए मात्र पूर्व में दर्ज नामान्तरणकरण व बैंक से लिये गये ऋण को आधार बनाते हुए अपीलांट्/वादी का वादपत्र खारिज किया गया है। जबकि प्रकरण में मूल बिन्दु यह था कि क्या अपीलांट्/वादी का वास्तविक नाम गोपीराम है अथवा नहीं? इस संबंध में अपीलांट्/वादी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष सरपंच ग्राम पंचायत रीड़ी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया था कि राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से अंकित नाम गणपतराम को सही रूप से गोपीराम अंकित किया जाना न्यायोचित है। इस प्रकार तमाम सबूतों व पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के विरोधाभासी कथन करते हुए अपीलांट्/वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 16:41:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वादपत्र विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत खारिज किया जाना स्पष्ट रूप से साबित है।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट्/वादी द्वारा धोषणात्मक वादपत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें नियमानुसार स्टेट का जवाब, तनकीयात् व साक्ष्य लिया जाना आवश्यक था। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत धोषणात्मक वादपत्र में प्रक्रिया को अपनाये बिना, अर्थात बिना स्टेट का जवाब प्राप्त किये, बिना तनकीयात् कायम किये व साक्ष्यो का विवेचन किये बिना इस आधार पर की वाद गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। वादी न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया है, का विवेचन अंकित करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की श्रेणी में आता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि के रिकार्ड में अपीलांट् का नाम गलत दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त करवाने व उसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है। अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य लिये गये। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि वाके रोही रीड़ी खेत खसरा नम्बर 839 नया 713 पुराना तादादी 5.3100 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर नया 37 पुराना 32 तादादी 2.7800 हेक्टर वाके रोही बाडेला तहसील श्रीडूँगरगढ़ के बाबत् विरासतन इंतकाल जोकि वर्ष 19[illegible] में दर्ज किया गया था। तत्समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट् का नाम गणपतराम दर्ज किया गया था। अपीलांट् द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक उक्त इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अपीलांट् का प्रकरण धारा 88 आरटीए व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की श्रेणी में नहीं आने के आधार पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/वादी का वादपत्र विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा दावा धोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती बाबत् धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनिमय के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादीगण का वाद खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 839 नया 713 पुराना तादादी 5.3100 हेक्टर व खेत खसरा नम्बर नया 37 पुराना 32 तादादी 2.7800 हेक्टर वाके रोही बाडेला तहसील श्रीडूॅगरगढ़ के संबंध में राजस्व रिकार्ड में सहवन से गोपीराम पुत्र खींवसीराम के स्थान पर गणपतराम पुत्र खींवसीराम को दुरूस्त करने की इस्तदुआ की गई है।

(2) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट् के पिता के नाम से दर्ज भूमि थी। जिसका विरासतन इंतकाल संख्या 214 व 205 दर्ज करते समय अपीलांट् का नाम गोपीराम के स्थान पर गणपतराम दर्ज कर दिया गया। जिसके कारण अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित होने तथा प्रथम जानकारी के दिन से उक्त अशुद्ध इन्द्राज को दुरूस्त/[illegible] करवाने हेतु अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी धोषणा करवाने का अपीलांट/वादी कानूनन अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व अन्य भाईयों के नाम से बतौर विरासतन दर्ज रिकार्ड की गई थी। वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि ग्राम रीड़ी के खेत खसरा नम्बर 839 नया 713 पुराना तादादी 5.3100 हेक्टर के बाबत् इंतकाल संख्या 214 व ग्राम बाडेला के खेत खसरा नम्बर नया 37 पुराना 32 तादादी 2.7800 हेक्टर भूमि के बाबत् इंतकाल संख्या 205 दिनांक 18–02–1976 को दर्ज किया गया था। तत्समय अपीलांट् का नाम गणपतराम पुत्र खींवसी जाति जाट बतौर सा.देह खातेदार दर्ज किया गया।

(4) प्रकरण में अपीलांट् द्वारा राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज होने के उपरान्त इतनी लम्बी अवधि अर्थात वर्ष 1976 के उपरान्त वर्ष 2019 करीब 43 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम को परिवर्तित करते हुए गणपतराम के स्थान पर गोपीराम की धोषणा/दुरूस्त करवाने की चेष्टा वादपत्र/अपील के माध्यम से की गई है। इतनी लम्बी अवधि के दौरान अपीलांट वादग्रस्त भूमि का उपयोग व उपभोग गणपतराम के नाम से करता रहा है तथा कालान्तर में अपीलांट् द्वारा गणपतराम के नाम से ही भूमि सुधार हेतु पंजाब नेशनल बैंक से ऋण भी प्राप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक वादग्रस्त भूमि को लेकर गणपतराम के नाम का उपयोग व उपभोग करने के उपरान्त इस तथ्य की जानकारी होना कि राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम गोपीराम के स्थान पर गणपतराम दर्ज हो गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अपना नाम गोपीराम होने के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व राशन कार्ड़ आदि दस्तावेज पश्चात्वर्ती दस्तावेज है। जिससे यह साबित नहीं होता है कि अपीलांट् द्वारा पूर्व में वादग्रस्त भूमि के बाबत् गणपतराम के नाम का उपयोग व उपभोग किया गया व अब वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में नाम संशोधन/दुरूस्ती करवाते हुए गणपतराम के स्थान पर गोपीराम के नाम का उपयोग व उपभोग करने की अपीलांट की मांग स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

(5) अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् नाम दुरूस्ती की धोषणा करवाने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में आता है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2020 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 21/12/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:41:40 IST
Reason: SelfAttested

21/12/2021

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर